न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 172/2020 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00318
दायर दिनांक :– 02.12.2020 निर्णय दिनांक :– 18.09.2025

1. फकीर खां पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. दीने खां पुत्र कालू खां जाति मुसलमान निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. महेन्द्र खां पुत्र कालूखां जाति मुसलमान निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुल्तानखां पुत्र कालूखां जाति मुसलमान निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हासम खां पुत्र खाजू खां फौत के कायम मुकाम
1/1 मोमद खा पुत्र हासम खां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
1/2 अलीखां पुत्र हासम खां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
1/3 ईलमदीन पुत्र हासम खां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
1/4 भाईखां पुत्र हासमखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
1/5 सकली पुत्री हासमखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
1/6 जेनकी पुत्री हासमखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
1/7 हलमों पुत्री हासमखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
1/8 मूमल पुत्री हासमखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
1/9 हवली पुत्री हासमखां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
2. मईदीन खां पुत्र खाजू खां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
3. समीर खां पुत्र खाजू खां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
4. खमू खां पुत्र खाजू खां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
5. नैना खातू पत्नी महमूद खां जाति मुसलमान निवासी मोरिया तह. लोहावट जिला फलोदी
6. अमीन खां पुत्र महमूद खां जरिये कुदरती वली माता नैना खातू पत्नी महमूद खां

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–**1.** श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 3 ता 4

–:: निर्णय ::–

प्राथीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। ग्राम नारायणपुरा पटवार क्षेत्र चाखू में खसरा नम्बर 532/1 रकबा 38–10 बीघा, खसरा नम्बर 532/5 रकबा 38–10 बीघा, खसरा नम्बर 532/6 रकबा 38–10 बीघा, खसरा नम्बर 532/8 रकबा 38–10 बीघा, खसरा नम्बर 532 रकबा

18/9/25

48–02 बीघा, खसरा नम्बर 532/4 रकबा 48–02 बीघा, खसरा नम्बर 532/2 रकबा 48–02 बीघा, 532/3 रकबा 48–03 बीघा, खसरा नम्बर 532/7 रकबा 38–11 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का उक्त खेत पूर्व में एक ही खेत था बाद में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उक्त खेत का बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का नाम अलग–अलग दर्ज कर लिया व अलग से खाता कायम कर दिया। प्रार्थीगण को नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार उक्त भूमि खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण को इनके कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा नहीं देना चाहते है। तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने नाम का फायदा उठाते हुवे प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का विक्रय कर वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये कानून रोकना न्यायहित में आवश्यक हो गया है अन्यथा प्रार्थीगण को क्षति होगी और अपने जायज अधिकारों से वंचित हो जायेगे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी की और से मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से जवाब पेश नहीं होने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतो प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिक प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य विषय है।

नामान्तरकरण संखय 237 व 236 मौजा नारायणपुरा अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त का खातेदारों द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में सहमति से बंटवाड़ा के आधार पर अलग–अ खाते कायम किये गये है। नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा भी अंकित किया गया था। प्र प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विभाजन अनुसार खातेदारों का कब्जा काश्त नहीं प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तका अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम जैरकार है। वादीगण के वाद जवा

18/9/25

दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त तरमीम का निर्धारण किया जा सकता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

नामान्तरकरण संखय 237 व 236 मौजा नारायणपुरा अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का खातेदारों द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में सहमति से बंटवाड़ा के आधार पर अलग–अलग खाते कायम किये गये है। नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा भी अंकित किया गया था। परन्तु प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि विभाजन अनुसार खातेदारों का कब्जा काश्त नहीं है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग–उपभोग आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

18/9/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)